IT

पत्रांक– सं0को0–02–195 / 2021–............

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अकादमिक भवन), बुद्ध मार्ग, पटना।

प्रेषक,

निदेशक (शैक्षणिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना– 01

सेवा में,

प्राचार्य / सचिव,
एस0एम0 शोएब हाशमी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूट,
परसा पकड़िया पठानपट्टी, नरकटिया, पूर्वी चंपारण,
मोतिहारी, पिन–845301

पटना, दिनांक................. / 2023

विषयः–**माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के आलोक में डी0एल0एड0 सत्र–2021–23 में नामांकित छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में।**

प्रसंगः–**आपका पत्रांक –SMSH/T/233, दिनांक 27.04.2023**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि एस0एम0 शोएब हाशमी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूट, परसा पकड़िया पठानपट्टी, नरकटिया, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को समिति के पत्रांक–टी0टी0प्रे0–668, दिनांक 13.06.2018 द्वारा सत्र 2018–20 से एक यूनिट (50) प्रशिक्षणार्थियों हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी थी।

2. संस्थान को NCTE, क्षेत्रीय केन्द्र, भुवनेश्वर (उड़ीसा) के पत्रांक 64376, दिनांक 13.08.2021 द्वारा सत्र 2021–22 से डी0एल0एड0 कोर्स संचालन हेतु अतिरिक्त 50 सीटों के साथ मान्यता प्रदान किया गया, जिसके आलोक में चार सदस्यीय जांच कमिटि द्वारा आपकी संस्था का स्थलीय जांच कराया गया। जांच प्रतिवेदन में इस संस्थान के संदर्भ में चार सदस्यीय जांच कमिटि द्वारा निम्नलिखित सुझाव एवं अनुशंसा प्राप्त हुएः–

(i) संस्थान का भूमि ट्रस्ट के नाम से है।
(ii) बागवानी नहीं (कुछ फुल के पौधे)।
(iii) खेल–कूद का मैदान नहीं है।

3. जांच प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया गया कि संस्थान परिसर में सरकारी प्राथमिक विद्यालय का भवन है। कॉफ्रेंस हॉल, पुस्तकालय, कॉमन रूम (छात्र / छात्रा) उपस्कर का अभाव है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के पत्रांक–64376, दिनांक 13.08.2021 जिसके द्वारा संबंधित संस्थान को 50 अतिरिक्त सीट के लिए शैक्षणिक सत्र–2021–23 से मान्यता दी गयी थी, के क्रमांक 14 में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि यदि संस्था की भूमि सोसाईटी / ट्रस्ट के नाम से हो तो उसे 06 महीने के स्थान संस्थान के नाम से स्थानांतरित कर लिया जाय, उस सीमा के अंदर स्थानांतरण नहीं करने की स्थिति में संस्थान की मान्यता वापस ले ली जाएगी।

4. जांच दल द्वारा कतिपय सुझावों के साथ–साथ अनुशंसा की गई कि महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जाए / उपस्करों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाए / छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय चिन्हित किया जाय / खेल सामाग्री की पर्याप्त व्यवस्था की जाय (खासकर आउटडोर गेम हेतु) तथा संस्थान के नाम से भूमि का

2

26/05/23

स्थानांतरण एवं पर्याप्त संख्या में उपस्कर की व्यवस्था जबतक नहीं किया जाता है, तबतक संबद्धता पर विचार करना श्रेयष्कर नहीं होगा।

5. उक्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 14.02.2022 को आयोजित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटि की बैठक में संस्थान की भूमि ट्रस्ट के नाम से रहने, भूमि अद्यतन लगान रसीद उपलब्ध नहीं होने, संस्थान के परिसर में सरकारी प्राथमिक विद्यालय संचालित रहने, कॉफ्रेंस हॉल, पुस्तकालय, कॉमन रूम (छात्र/छात्रा) उपस्कर के अपर्याप्त रहने, खेलकूद मैदान नहीं रहने के कारण तत्काल शैक्षणिक सत्र 2021–22 से अतिरिक्त सीट वृद्धि हेतु सम्बद्धता प्रदान नहीं करने के साथ संस्था को, ट्रस्ट की भूमि संस्था के नाम से कराने एवं जांच प्रतिवेदन में पायी गयी कमियों को एक माह के अंदर पूरा कर साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश देने की अनुशंसा की गयी। तत्पश्चात् समिति के पत्रांक–167, दिनांक 02.04.2022 के द्वारा संस्थान को उक्त कार्यों को पूर्ण कर एक माह के अंदर साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन समर्पित करने का एक मौका दिया गया।

6. समिति के निर्णय के अलोक में संस्था को यह सुझाव दिया गया था कि ट्रस्ट की जमीन, संस्था के नाम से करा लें तथा जांच दल द्वारा प्रतिवेदित अन्य कमियों को शीघ्र पूरा करा लें, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

7. आपकी संस्था को भूमि का हस्तांतरण संस्था के नाम से कराने तथा जांच प्रतिवेदन में पायी गयी अन्य कमियों को (पत्रांक–450, दिनांक 09.07.2022) एक माह के अंदर पूरा करा लेने का पुनः एक मौका दिया गया।

8. पत्रांक– 450, दिनांक 09.07.2022 के आलोक में संस्थान द्वारा पत्रांक–SMSHT/T/210, दिनांक 28.07.2022 के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें मूल रूप से कहा गया है कि हमारी संस्था एवं ट्रस्ट दोनों ने Vendee के रूप में रजिस्टर्ड भूमि प्राप्त की है इसीलिए पुनः इसे इतने वर्षों के बाद संस्था के नाम से केवल भूमि का स्थानांतरण कराना न केवल तकनीकि रूप से कठिन है बल्कि अनावश्यक है। इनके द्वारा अपने पक्ष में यह भी कहा गया कि संस्था का नाम (एस0 एम0 शोएब हाशमी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूशन) बदलना किसी भी प्रकार व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सभी पोर्टल पर संस्था इसी नाम से निबंधित है। संस्था द्वारा कहा गया कि एन0सी0टी0ई0 2014 में दिये गये प्रावधान [विनियम 8 की कंडिका 4 (iii)] कि "6 माह के अंदर ट्रस्ट की भूमि को संस्था के नाम से हस्तानांतरित करा लिया जाय", संस्थान पर लागू नहीं होता है। साथ ही आपके द्वारा यह भी कहा गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली 2016 को पूर्व से मान्यता प्राप्त संस्थान के संदर्भ में लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी संस्था को 2015 से दो वर्षीय संयुक्त शैक्षणिक कोर्स की मान्यता प्राप्त है और संदर्भित संस्था पूर्ण रूप से शैक्षणिक संस्थान है, जिसके अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् बी0एड0 एवं डी0एल0एड0 कोर्स संचालन हेतु ही उपलब्ध है। संस्था के पास 3335 वर्गमीटर भूमि निबंधित है, जिसमें मात्र बी0एड0 एवं डी0एल0एड संस्था ही चल सकती है, कोई अन्य संस्थान उक्त भूमि पर संचालित होने की गुजांइश ही नहीं है।

12. आपके प्रत्युत्तर से स्पष्ट हुआ कि संस्था द्वारा ट्रस्ट की भूमि, संस्था के नाम से हस्तानांतरित नहीं कराया गया है तथा संस्था इसकी आवश्यकता भी नहीं समझती है। उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा समर्पित अद्यतन मालगुजारी रसीद में भी भूमि ट्रस्ट के नाम से है। फलतः संस्था का यह कथन कि भूमि संस्था एवं ट्रस्ट दोनों को Vendee के रूप में प्राप्त है, त्रुटिपूर्ण हो जाता है। साथ ही आपके द्वारा जाँच दल के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित कतिपय अन्य सुधारात्मक सुझावों एवं कमियों को पूरा कर लेने का साक्ष्य भी समर्पित नहीं किया गया है।

13. उक्त परिपेक्ष्य में दिनांक 05.09.2022 को सम्पन्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक में अन्यान्य विषय सं0–01 के रूप में लिए गए निर्णय के आलोक में पत्रांक–

668/18, दिनांक–13.06.2018 के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2022–24 से संस्था को एक बेसिक यूनिट (50) प्रशिक्षणार्थियों हेतु डी0एल0एड0 कोर्स संचालन के लिए प्रदत्त सम्बद्धता वापस ले ली गयी है।

अतः स्पष्ट है कि आपकी संस्था को शैक्षणिक सत्र 2021–23 से एक अतिरिक्त बेसिक यूनिट हेतु प्रदत्त सम्बद्धता आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया अर्थात् आपकी संस्था की समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र–2021–23 से एक अतिरिक्त बेसिक यूनिट हेतु सम्बद्धता प्रदान नहीं की गई और संस्थान को शैक्षणिक सत्र–2022–24 हेतु प्राप्त सम्बद्धता को वापस ले ली गयी। उक्त स्थिति में संस्था के शैक्षणिक सत्र 2021–23 हेतु एक अतिरिक्त बेसिक यूनिट के छात्रों की परीक्षा लिये जाने संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांकः– सं0को0–02–195/2021–..........., दिनांक ..../2023

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय निदेशक, पूर्व क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE), जी0–7, सेक्टर–10, द्वारिका, नई दिल्ली–110075 सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संस्थान की मान्यता को मान्यता सत्र–2022–23 से रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

ह0/–
निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांकः– सं0को0–02–195/2021–..........., दिनांक ..../2023

प्रतिलिपिः–परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांकः– सं0को0–02–195/2021–216, दिनांक 26/05/2023

प्रतिलिपिः–निदेशक (आई0टी0), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेशित कि इसे समिति के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

27/05/2023